

सामूहिक बीमा योजना का नामांकन प्रपत्र (G.I.S., Nomination)

मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, शासनादेश सख्या बीमा 56दस-86-36/1981 दिनांक 10.01.86 में दी गई सूची के अनुसार मेरे सेवारत् अवस्था में मृत्यु हो जाने पर सामूहिक बीमा योजना के अधीन देय धनराशि अथवा सेवा निवृत्त के बाद उक्त योजना के अधीन मुझे प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में धनराशि प्राप्त करने हेतु नामित करता हूँ/करती हूँ।

क्र. सं.	नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम व पूरा पता	अधिकारी / कर्मचारी से सम्बन्ध	नामित व्यक्ति की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश	आकस्मिकताये जिनके होने पर नामांकन अवैध हो आएगा	उन व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम आयु, देय अंश तथा पता जिसे/ जिन्हें नामित व्यक्ति /व्यक्तियों (कॉलम-2) के आकस्मिकताये (कॉलम-6) की दशा में नामित व्यक्ति /व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।	यदि कॉलम(2) व कॉलम(7) में नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों में से कोई अवयस्क हो तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में नियुक्त संरक्षक का नाम, आयु, पता व अवयस्क से सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :-यदि कॉलम(2) व (7) में नामित किये व्यक्तियों में कोई अवयस्क हो तो उनकी आयु के साथ साथ उनकी जन्म तिथि भी अंकित की जाये।

सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

विभाग.....

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक.....

साक्षी- (1) हस्ताक्षर

नाम पता

साक्षी- (2) हस्ताक्षर

नाम पता

(ह० व मोहर)

कार्यालयध्यक्ष विभागाध्यक्ष

दिनांक.....